न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/122

1. रतनलाल मीना पुत्र रामसहाय
2. मिश्रीलाल मीना पुत्र रामसहाय
3. मीठालाल मीना पुत्र रामसहाय
   जाति मीना निवासी बासना तहसील पापडदा जिला दौसा।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. कजोड बैरवा पुत्र नानगा जाति बैरवा निवासी बासना तहसील पापडदा जिला दौसा।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पापडदा जिला दौसा।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान जिला दौसा दिनांक 19.07.2024 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी कजोड बनाम सरकार मुकदमा नंबर 36/2024 पर पारित किया गया है।

उपस्थित–

1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, वकील अपीलान्ट्स।
2. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –22.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान जिला दौसा के निर्णय दिनांक 19.07.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1302 व 1305 प्रार्थी की निजी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम बासना, तहसील पापडदा, जिला दौसा में स्थित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पापडदा को आदेश दिये गये कि उक्त आराजी पर अडोस–पडोस के खेतों में फसल सरसब्ज न होने पर अर्थात पडोस से खेत खाली होने पर नियमानुसार सीमांकन कर पत्थरगढी करावें। पत्थरगढी का व्यय प्रार्थी स्वंय वहन करेगा। पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिनांक 19.07.2024 को पारित किये गये हैं ।

3. उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 19.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री रतनलाल मीना पुत्र रामसहाय वगै0 द्वारा यह अपील धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान, जिला दौसा दिनांक 19.07.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नंबर 01 ने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थी की आराजी भूमि खसरा नंबर 1302 व 1305 स्थित ग्राम बासना पर रतनलाल पुत्र रामसहाय, मिश्रीलाल पुत्र रामसहाय, लोहडीराम पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी बासना के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन लाठी के बल पर नाजायज कब्जा कर रखा है एवं प्रार्थी को भूमि पर काबिज नही होने देते है तथा जान से मारने की धमकी देते है इसलिये उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया।

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय दौसा ने अप्रार्थी नंबर 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान को भेजा जिस पर उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान ने उक्त प्रार्थना पत्र को पत्थरगढी हेतु दर्ज कर संबंधित को नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया। तहसीलदार जी की रिपोर्ट में स्पष्ट आने पर उक्त भूमि पर अप्रार्थी नंबर 1 का कब्जा नहीं होने व पत्थरगढी की आड में कब्जा प्राप्त करने की अनुचित कोशिश करना व पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाकर सुनवायी का अवसर दिया जाना तथा अपीलान्ट के द्वारा उक्त भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय दौसा के समक्ष दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई पेश कर रखा होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों व तहसीलदार जी की रिपोर्ट को देखे बिना तथा प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना एवं कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रभावित काबिज व्यक्तियों को पक्षकार बनाये बिना सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना नेचूरल जस्टिस का उलंघन कर उक्त निर्णय पारित किया है। अप्रार्थी नंबर 1 ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी यह स्पष्ट अंकन किया था कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट ने जबरन कब्जा कर रखा है और उप जिला कलेक्टर महोदय नांगल राजावतान ने स्वंय ने भी उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज कर संबंधित को नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया था किन्तु उसके बावजूद भी अपीलान्ट को कोई नोटिस नही दिया गया और बिना नोटिस दिये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है। सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त भूमि की गलत तरीके से खातेदारी अप्रार्थी नंबर 1 के नाम दर्ज कर रखी है जिसके बाबत दावा चल रहा था किन्तु उसके बावजूद भी पत्थरगढी का आदेश देनें में कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान दिनांक 19.07.2024 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान के निर्णय दिनांक 19.07.2024 में बिना प्रभावित काबिज व्यक्ति व पडौसी खातेदार व अन्य खातेदारान को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की आड में रेस्पोडेन्ट नं. 1 अपीलान्ट को बेदखल करना चाहता है। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के परीक्षण पश्चात विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2024 पारित किया गया है जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में पडौसी खातेदार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। रेस्पोडेन्ट की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि स्थित है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर समरी जांच पश्चात पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावें कि यदि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट आंवटन शुदा भूमि से भिन्न भूमि पर काबिज काश्त है तो क्या प्रकरण भू आंवटन नियम 14 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही योग्य है अथवा नहीं ?

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान जिला दौसा दिनांक 19.07.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर समरी जांच पश्चात पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावें कि यदि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट आंवटन शुदा भूमि से भिन्न भूमि पर काबिज काश्त है तो क्या प्रकरण भू आंवटन नियम 14 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही योग्य है अथवा नहीं ?

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 22.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर